निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएँ,
बिहार पटना

प्रेस विज्ञप्ति

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वर्ष 1980–90 के बीच यक्ष्मा कार्यक्रम अन्तर्गत तत्कालीन उपनिदेशक, यक्ष्मा डा0 ए0ए0 मल्लिक द्वारा 2250 पदों के विरूद्ध करीब 6,000(छः हजार) से ज्यादा अवैध नियुक्तियॉ कर दी गई, जिन्हें विभागीय ज्ञापांक– 528(11), दिनांक– 30.04.1993 के द्वारा सेवामुक्त कर दिया गया। उक्त के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील संख्या–10758–59/1995 अश्विनी कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया जिसमें दिनांक–16.12.1996 को पारित न्यायादेश में डा0 मल्लिक द्वारा अवैध रूप से बहाल कर्मियों की सेवामुक्ति को सही ठहराया गया तथा एक कमिटि गठन कर उचित तरीके से नियुक्ति की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। पुनः अवमाननावाद संख्या–270–71/1997 में दिनांक–03.11.1997 को पारित न्यायादेश में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति की कार्रवाई पूरी करने का निदेश दिया गया। उक्त के आलोक में निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएँ के विज्ञापन संख्या–01/97 के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा चुकी है। इस मामले को स्थायी रूप से बंद किया जा चुका है। इसके बावजूद सेवामुक्त कर्मियों द्वारा विभिन्न माध्यमों यथा– राज्यपाल सचिवालय, समाहरणालय, पटना के जनशिकायत कोषांग, मुख्यमंत्री सचिवालय, प्रधानमंत्री ऑनलाईन आदि के माध्यम से अवांछित रूप से, असंगत, बेनामी आदि अनेक पत्र प्रेषित किये गये है, जिनपर अब कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। उक्त सभी आवेदनों को निरस्त किया जाता है।

11/9/17

(डा0 आर0डी0 रंजन)
निदेशक प्रमुख, (रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

D:\Navin kr. Thakur\Bibidh.docx